



Dated: 20.07.2019

To,
Corporate Relationship Department
The Bombay Stock Exchange
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Co. NAME: TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED

SCRIP CODE: 531846

Sub: Newspaper cuttings of Notice of Board Meeting for Un-audited Financial Results as per Regulation 29 of SEBI Listing Regulation 2015 (LODR) for the quarter ended 30.06.2019

Dear Sir,

Please take on your record the newspaper cutting of Notice for Board Meeting for un-audited Financial Results as per Regulation 29 and 47 of SEBI Listing Regulation 2015, for the quarter ended 30th June, 2019, published in Financial Express and Jansatta newspapers on 20th July, 2019.

**Thanking You
For Trinity League India Limited**

Dharmender Kumar
**Company Secretary &
Compliance Officer**



Encl: As above

TRINITY LEAGUE INDIA LTD.

Regd. Office : A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, G.K. II, New Delhi 110 019

Corp Office : "Trinity Tower", B-2, Sector-7, Noida-201301 (U.P.),

Ph: 011 40562329 - Email: trinityleague@trinitygroup.ind.in

Website : www.trinityasia.in

CINU NO. L74999DL1988PLC031953

TLI/ 1636

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जुलाई।

दिल्ली-मुंबई व दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर पर ट्रेनों की रफ्तार और तेज होगी। रेल मंत्रालय ने कॉरिडोर पर औसतन 40 किलोमीटर की रफ्तार सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान किए हैं। इसकी मदद से देश की राजधानी व शताब्दी समेत प्रीमियम ट्रेनों की सुविधा व रफ्तार बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए कॉरिडोर पर छोटे-छोटे बदलाव किए गए हैं और कई अन्य अहम कॉरिडोर पर इसकी प्रक्रिया चल रही है।

इन ट्रेकों पर करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चलती थीं। नए प्रावधानों से इस रफ्तार को 160 किलोमीटर

प्रति घंटा तक लाया गया है। रफ्तार के लिए रेल मंत्रालय ने ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (एटीपी) लागू किया है। इसकी मदद से लोको पायलट के सामने एक स्क्रीन पर ट्रेन के संचालन की जानकारी आती रहती है।

● 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार हो जाएगी 160 किलोमीटर

जिसकी मदद से रात में भी रेल का बेहतर संचालन संभव हो सका है। ऐसे ही व्यवस्था अन्य कॉरिडोर पर भी लागू होगी। इस व्यवस्था की मदद से रेल ट्रेक पर बेहतर निगरानी संभव हो सकती है। मंत्रालय के मुताबिक ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम को यूरोपीय तकनीक से विकसित किया गया है।

इसकी वजह से रेलवे तकनीक को बढ़ावा मिला है और यात्रियों की सुविधाएं आसान हुई हैं।

इसी प्रकार लिंगमपल्ली-वादी स्टेशन के बीच एक ऑटो मैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (टीसीए) विकसित किया जा रहा है। यह 25 किलोमीटर लंबा रूट है और यातायात व अधिक दबाव है। इस कॉरिडोर को 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रफ्तार तेज करने के लिए यात्रियों के लिए नए कोच उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मंत्रालय के मुताबिक अभी राजधानी व शताब्दी ट्रेनें अधिकतम रफ्तार पर चल रही हैं इनके अतिरिक्त अब अन्य ट्रेन सेवाओं के लिए भी सुधार किए जा रहे हैं। इसके लिए लगातार रेल नेटवर्क पर कार्य किए जा रहे हैं।

अरुणाचल, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भूकम्प

गुवाहाटी/ ईटानगर, 19 जुलाई (भाषा)।

अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कुछ ही मिनटों के अंतर में तीन बार भूकम्प आया जिनकी तीव्रता क्रमशः 5.6, 3.8 और 4.9 दर्ज की गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान जान-माल का किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है। हर बार भूकम्प के झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट के अनुसार पहला भूकम्प अपराह्न दो बजकर 52 मिनट पर आया जिसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। इस भूकम्प का केंद्र अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। इसके झटके ईटानगर, गुवाहाटी, असम के अन्य हिस्सों और नगालैंड के दीमापुर में भी महसूस किए गए।

सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जुलाई।

विपक्ष के कड़े विरोध और कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस के वाकआउट के बीच सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गई। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य

सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश किया उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के सवाल पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। उन्होंने जोर दिया कि सरकार अधिकतम सुशासन, न्यूनतम सरकार के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। विधेयक के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि इसका मकसद आरटीआइ अधिनियम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना, व्यवस्थित बनाना व परिणामोन्मुखी बनाना है।

फॉर्म आईएनसी-28
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
देशीय निदेशक के सहायक
उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 (4) के साथ चयित कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (6) के खंड (1) के मामलों में तथा
मॉनोपॉल गैर-निगमन प्राइवेट लिमिटेड CIN: U29220DL2009PTC188888, एक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्गमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-89/8 1 व 2 फ्लोर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110020, दिल्ली, इंडिया में स्थित है के मामलों में

.....याधिकाकर्ता

सूचना

एतद्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानांतरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनी

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्या.: ए-23, मंडाकिनी एम्ब्लेज, अलकनंदा, जेके II, नई दिल्ली-110019

फोन: 011-40562329, वेबसाइट: www.trinityasia.in,

ई-मेल: trinityleague@trinitygroup.ind.in, CIN No: L93000DL1988PLC031953

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी सूचीयन विनियमन 2015 (एलओबीआर) 03/2019-20 के विनियमन 29 तथा 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल को बैठक शनिवार, 27 जून, 2019 को ट्रिनिटी टावर, बी-02 सेक्टर 7, नोएडा-201301 में स्थित कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी विनियमन अन्वय विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त सिमाही के लिए कम्पनी के अनेकलिखित विनियमों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। इस सूचना में शामिल विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.trinityasia.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

धरमेश्वर कुमार

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

स्थान: नोएडा
दिनांक: 19.7.2019

महान फूड्स लिमिटेड

CIN: L15419DL1987PLC350285

वेबसाइट: www.mahaanfoods.com

शेयरों के अंतरण के लिये सूचना

सूचित किया जाता है कि हमने विक्रेताओं के हस्ताक्षर में अस्मन्नता के साथ शेयरों के अंतरण के लिये अप्रोलिखित शेयर प्रमाणपत्र(शे) प्राप्त किये हैं।

This is only an advertisement

TATA SPON

Tata Sponge Iron Limited was del

राष्ट्र

जनसत्ता, 21 जुलाई, 2019 9

नदयाल ब आदि शंकराचार्य
रही है : भाजपा

शुद्धिपत्र

शनिवार
उसने
मध्याय,
श दिए
संबंधित
ते हुए
कार ने
सनातन
क्रम से

यह शुद्धिपत्र ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड द्वारा कम्पनी के अर्न्तगत वित्तीय परिणामों के लिए निदेशक मंडल की बैठक के विषय में जारी जनसत्ता 20 जुलाई, 2019 अंक में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि असावधानीवश उक्त विज्ञापन में एक त्रुटि हुई है, जिसके फलस्वरूप निदेशक मंडल की बैठक 'शनिवार, 27 जुलाई, 2019' के स्थान पर 'शनिवार, 27 जून, 2019' प्रकाशित हुआ है। अतः कृपया निम्नलिखित शुद्धि नोट करें :
शुद्धि :
विज्ञापन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक 'शनिवार, 27 जून, 2019' के स्थान पर 'शनिवार, 27 जुलाई, 2019' पढ़ें।
शेष सूचना यथावत रहेगी।
असुविधा के लिए खेद है।

ऋण वसूली अधिकरण III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना ओ.ए. नं. 729/2018 के मामले में भारतीय स्टेट बैंक

वनाम	आवेदक
श्री अश्वनी त्यागी एवं अन्य	प्रतिवादीगण

श्री अश्वनी त्यागी एवं अन्य सेवा में,
डी-1. श्री अश्वनी त्यागी, पुत्र श्री योगेश कुमार एच.नं. एमसीएफ-90, गली नं. 4, जाट भवन के निकट, नाहर सिंह कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा साथ ही: जेसीबी इंडिया लि., प्लॉट नं. 23/7, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा
डी-2. मै. मंजू जे होम्स इंडिया लि., सी-294, प्रथम तल, विवेक विहार, दिल्ली- 110095

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण को संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 13.08.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले को सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 1 जुलाई 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली



हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइ

द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-67, दूरभाष: (नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बिडिंग के माध्यम से)

सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (वर्णित कर्जदार (रो) और गारंटर (रो) और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉलम (ग) में दर्शाई गई प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित गरी द्वारा कॉलम (घ) में वर्णित अनुसार रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया था, उन्हें नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" एवं "प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार (रो)/बंधककर्ता (ओ)/कानूनी उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधियों (वाहे ज्ञात या हो, को एतद्वारा सूचित किया जाता है।

नियम व शर्तों के लिए कृपया हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लि.) प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट, यानी, www.HDFC.Com

(क)	(ख)	(ग)
रो)/बंधककर्ता (ओ) / गारंटर (रो)/कानूनी उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधियों (वाहे ज्ञात या प्रभारित कर्जदार (को), प्रशासक (को), संबंधित कर्जदार (ओ)/गारंटर (रो) (अब मृतक) के उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, का नाम।	वसूल की जाने वाली बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) (रु.)*	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण वर्ग फीट में
अरोड़ा और सुश्री शोली सहाय (सं. 604147923)	31 दिसम्बर 2018* को रु. 1,68,00,785/- (केवल एक करोड़ अड़सठ लाख सात सौ पचासी रुपए)	हौज खास, नई दिल्ली में स्थित प्लॉट नं. एच-1/14, हौज खास नई दिल्ली में छत अधिकारों के साथ फ्री होल्ड, द्वितीय तल प्लॉट का एरिया 1617.3 वर्ग फीट (लगभग), यूनिट का एरिया 1617.3 वर्ग फीट (लगभग) छत अधिकारों के साथ (ड्राइंग, ड्राइनिंग किचन के साथ 2 बेडरूम) सहित निचली भूमि पर अविभक्त आनुपातिक हिस्सा।
अहमद डार और श्रीमती फरीदा (सं. 605304588)	31 दिसम्बर 2016* को रु. 49,09,879/- (केवल उनचास लाख नौ हजार आठ सौ उन्चासी रुपए)	प्लॉट नं. 501, 5वें तल, डीडीए-3बीएचके एचआईजी, पॉकेट ब्लॉक एफ2ए, गॉल्फ लिक्स रेजिडेंसी, डीडीए, द्वारका, सं. 18बी, नई दिल्ली और उस पर वर्तमान एवं भविष्य निर्माण कार्य